राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

एफ 6( )आ.प्र. एवं सहा./उ.रा.पै./2013/9200–207 जयपुर,दिनांक 28.8.14

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान।

विषय :– उत्तराखण्ड़ बाढ़ त्रासदी में मृतक एवं स्थाई रूप से लापता व्यक्तियों के विधिक वारिसों हेतु जारी राहत पैकेज दिनांक 29.07.2013 से अनुकम्पात्मक नियुक्ति के प्रावधान को समाप्त करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उत्तराखण्ड़ बाढ़ त्रासदी में राज्य के मृतक एवं स्थाई रूप से लापता व्यक्तियों हेतु दिनांक 29.7.2013 को राहत पैकेज जारी किया गया था। उक्त पैकेज में अनुग्रह सहायता के अतिरिक्त मृतक अथवा स्थायी रूप से लापता व्यक्तियों के आश्रितों में से एक आश्रित को राज्य सरकार के अधीन अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान रखा गया था।

राजस्थान राज्य के अतिरिक्त उत्तराखण्ड बाढ़ त्रासदी में मृतक एवं स्थाई रूप से लापता हुए व्यक्तियों के विधिक वारिसों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने के प्रावधान में संबंध में अन्य राज्यों से जानकारी चाही गई, जिसके संबंध में सभी राज्यों द्वारा अवगत कराया है कि उत्तराखण्ड बाढ़ त्रासदी में मृतक एवं स्थाई रूप से लापता हुए व्यक्तियों के विधिक वारिसों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

अतः सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णय अनुसार उत्तराखण्ड़ बाढ़ त्रासदी में मृतक एवं स्थाई रूप से लापता व्यक्तियों के विधिक वारिसों हेतु जारी राहत पैकेज दिनांक 29.07.2013 में किये गये अनुकम्पात्मक नियुक्ति के प्रावधान को समाप्त किया जाता है। यदि पूर्व में ही किसी जिले में राहत पैकेज अनुसार किसी व्यक्ति को नियुक्ति दे दी गई है, तो प्रोबेशन अवधि में ही उनकी सेवा समाप्त कर दी जावें।

28/8/14
(कुंजीलाल मीणा)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान।
2. सचिव, माननीय मुख्यमन्त्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण, राजस्थान।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव, राज0, जयपुर।
5. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राज. जयपुर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त अधिकारीगण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0, जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव